जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर

ए.बी.ए. नंबर 339/2026

परिवाद पत्र संख्या 703सी/2023

प्राथो प्रोटीन मोइत्रा बनाम बिहार राज्य।

04.04.2026 आवेदक **प्राथो प्रोटीन मोइत्रा** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया। **अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन के पैरा 3 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।**

उभय पक्षों को सुना।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी उमेश प्रसाद यादव का कथन संक्षेप में यह है कि परिवादी मजदूर है। परिवादी ने सेल्समैन के कार्य करने के उपरांत अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक कुल दस हजार रुपए, फरवरी 2021 से अक्टूबर तक कुल इक्कीस माह का तीन हजार रुपए की दर से 63,000/— रुपए हुआ। परिवादी ने दस हजार रुपए एवं पंखा दुकान पर 1200/— रुपए, पुनः पंखा दुकान पर 1300/— रुपए एवं एक बार नकद 2500/— रुपए एवं खुदरा—खुदरी नगद कुल 1,800/— रुपए दिया, जिसकी कुल राशि 16,800/— रुपए परिवादी को प्राप्त हुआ तथा शेष 56,200/— रुपए बचा। परिवादी को 20,000/— रुपए का चेक इंडियन बैंक मुंगेर के द्वारा परिवादी के नाम से दिया, परंतु प्राथो प्रोटीन मोइत्रा द्वारा जालसाजी कर कुल बीस हजार रुपए का चेक दिया। परिवादी ने उक्त चेक पंजाब नेशनल बैंक में जमा किया, परंतु पर्याप्त राशि खाता में नही होने के कारण चेक वापस कर दी गयी। परिवादी ने आवेदक को सूचना दी तथा रकम की मांग की, तो आवेदक ने रकम देने से इंकार कर दिया। परिवादी ने वकालतन नोटिस दिया। रकम मांगने पर आवेदक परिवादी के साथ गाली—गलौज तथा मारपीट पर उतारू हो गया, तब परिवादी ने परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 406, 323, 504, 34 भा0द0वि0 एवं 138 एन0आई0 एक्ट के अंतर्गत परिवाद पत्र दाखिल किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध धारा 420, 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्रथमदृष्टया पाते हुए आवेदक के विरुद्ध सम्मन जारी किया गया। आवेदक पर धारा 420 भा0द0वि0 का आरोप नहीं बनता है। परिवादी आवेदक की

लगातार

04.04.2026. दुकान पर कोरियर का काम करता था। आवेदक द्वारा बार–बार चेक वापस करने को कहा गया, परंतु वह वापस नहीं किया और न ही रुपय वापस किया। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदक पर परिवादी का मजदूरी का 56,200/– रुपए भुगतान नहीं करने का आरोप है तथा दिया गया चेक बाउंस होने का आरोप है। आवेदक पर धारा 420 भा0द0वि0 का आरोप बनता प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में आवेदक को **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू, आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर,** दाखिल करने पर तथा विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :

1. **आवेदक के दोनों जमानतदार उसके ग्रामीण होगें।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 04.04.2026.

प्रतिलिपिः– श्रीमती अनामिका, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति साथ मूल अभिलेख वापस भेजा जाता है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 04.04.2026.